



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 723]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 14, 2007/ज्येष्ठ 24, 1929

No. 723]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 14, 2007/JYAISTHA 24, 1929

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2007

का.आ. 972(अ)—राजमार्ग प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 20 की उप-धारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि की अधिकारिता की सीमा के भीतर स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लंबाई तक, उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 43 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है।

सारणी

क्र. सं.	परियोजना निदेशक	राजमार्ग की अधिकारिता की सीमाएं	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लंबाई कि.मी. में
1	2	3	4	5
1.	परियोजना निदेशक कोरीडोर, प्रबंध इकाई, कोटपुतली, राजस्थान	दिल्ली-जयपुर सेक्शन (42 कि.मी.—248 कि.मी.)	8	206
2.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, जयपुर, राजस्थान	राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 220 कि.मी. (चांदवाज से) राष्ट्रीय राजमार्ग 8 के 273/5 कि.मी. (नया जटावली) को जोड़ने वाले जयपुर बाईपास (फेस I और II)	8	48.30
		जयपुर—किशनगढ़ सेक्शन (273/5 कि.मी. से 363/885 कि.मी.)	8	90.385

3.	परियोजना निदेशक, कोशीखोर, प्रबंध इकाई, नीलवाड़ा, राजस्थान ।	किशनगढ़-नसीराबाद सेक्शन (0/0कि.मी. से 35/00कि.मी.) नसीराबाद-चित्तौड़गढ़ सेक्शन (15/00कि.मी. से 183 कि.मी.)	79क  79	35  148
4.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, चित्तौड़गढ़, राजस्थान ।	चित्तौड़गढ़ बाईपास (राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के 159.00कि.मी. से राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के 213 कि.मी.)	79/76	29.6
5.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, (डी एम) जयपुर, राजस्थान ।	चित्तौड़गढ़-उदयपुर सेक्शन (113/825कि.मी. से 220/0कि.मी.)  उदयपुर-रतनपुर सेक्शन (278कि.मी. से 388/400कि.मी.)	76  8	106.175  110/ 400
6.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, दौसा, राजस्थान ।	आगरा जयपुर सेक्शन (17/756 कि.मी. से 228/00 कि.मी.)	11	210.24
7.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (ईडब्ल्यू) उदयपुर, राजस्थान ।	0/0 कि.मी. से 113/826 कि.मी.  249.7 कि.मी. से 264 कि.मी.	76  14	113.83  14.3
8.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (ईडब्ल्यू) चित्तौड़गढ़, राजस्थान ।	200 कि.मी. से 378 कि.मी.	76	158
9.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोटा, राजस्थान	378 कि.मी. से 406 कि.मी.	76	28
10.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बाराण, राजस्थान ।	406 कि.मी. से 579 कि.मी.	76	173

[फा. सं. रा.रा.-11014/15/2007-पी एंड एम]

ए. क. सक्सेना, प्रादेशिक अधिकारी (जयपुर)

## MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2007

S.O. 972(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 20 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and with the approval of the Central Government, the Highway Administration hereby appoints the Project Directors of the National Highways Authority of India specified in column 2 of the Table below, to exercise the powers and discharge the functions conferred on it under sections 24,25,26,27 and 43 of the said Act, within the limits of jurisdiction specified in the corresponding entry in column 3, in respect of the National Highway as specified in the corresponding entry in column 4, the length of which is specified in the corresponding entry in column 5 of the said Table.

TABLE

Serial number	Project Director	Limits of jurisdiction of the Highway	National Highway number	Length in Km.
1	2	3	4	5
1	Project Director, Corridor Management Unit, Kotputli, Rajasthan.	Delhi-Jaipur Section ( Km 42-km 248 )	8	206
2	Project Director, Project Implementation Unit, Jaipur, Rajasthan.	Jaipur bypass (Phase I & II) connecting km 220 (at Chandwaj) of NH 8 to km 273/5 ( New Jatawali) of NH 8 Jaipur-Kishangar Section (Km. 273/5 to km 363/885)	8 8	48.30 90.385
3	Project Director, Corridor Management Unit, Bhilwara, Rajasthan.	Kishangarh-Nasirabad section (Km. 0/0 to km 35/00) Nasirabad –Chittorgarh Section ( Km 15/00 to km 183)	79 A 79	35 148
4	Project Director, Project Implementation Unit, (DM) Chittorgarh, Rajasthan.	Chittorgarh bypass ( km 159.00 of NH 79 to km 213 of NH 76)	<u>79/76</u>	29.6
5	Project Director Project Implementation Unit (DM), Udaipur, Rajasthan.	Chittorgarh –Udaipur Section ( Km. 113/825 to km 220/0 ) Udaipur –Ratanpur Section ( km 278 to km 388/400 )	<u>76</u> 8	106.175 110/400

1	2	3	4	5
6	Project Director Project Implementation Unit, Dausa, Rajasthan.	Agra Jaipur Section (Km 17/756 to km 228/00 )	11	210.24
7	Project Director, Project Implementation Unit (EW) , Udaipur, Rajasthan.	km 0/0 to km 113/826 km 249.7 to km 264	76 14	113.83 14.3
8	Project Director, Project Implementation Unit, (EW) Chittorgarh, Rajasthan.	km 220 to km 378	76	158
9	Project Director, Project Implementation Unit, Kota, Rajasthan.	km 378 to km 406	76	28
10	Project Director, Project Implementation Unit, Baran, Rajasthan.	km 406 to km 579	76	173

[E. No. NH-11014/15/2007-P &amp; M]

A. K. SAXENA, Regional Officer (Jaipur)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2007

का.आ. 973(अ)—राजमार्ग प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) के धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रकृत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि की अधिकारिता की सीमा के भीतर, स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में प्रकृत विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में, सक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लंबाई तक, सक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 43 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग और कुर्बानियों का निवेदन के लिए नियुक्त करता है।

## सारणी

क्र.सं.	परियोजना निदेशक	राजमार्ग की अधिकारिता की सीमाएं	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लंबाई कि.मी. में
1	2	3	4	5
1.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यालय इकाई, उड़ीसा। बरहामपुर,	233/0 कि.मी.से 388/0 कि.मी. (नया चैन्नेय कोलकाता - बेन्नई - सेक्शन 311/439- 470/408 कि.मी.)	5	159

1	2	3	4	5
2.	परियोजना परियोजना इकाई, उड़ीसा ।	निदेशक, कार्यान्वयन भुवनेश्वर, (388/0 कि.मी.से 418/0 कि.मी.) (राष्ट्रीय राजमार्ग - 5 पर नया चैनेज-कोलकाता-चैन्नई सेक्शन 280/253 कि.मी. से 311/439 कि.मी.) 0 कि.मी. से 199/14 कि.मी. (नया चैनेज-कोलकाता-चैन्नई सेक्शन 81/13 से 280/253 कि.मी.) 00कि.मी. से 52.37 कि.मी.	5  5  60	31.19  199.12  52.37
3.	परियोजना परियोजना इकाई, पारादीप, उड़ीसा ।	निदेशक कार्यान्वयन 0 कि.मी. से 77कि.मी.	5क	77

[फा. सं. रा.रा.-11014/14/2007-पी एंड एम]

पी.वी.वी.एस.आर. प्रसाद, प्रादेशिक अधिकारी (भुवनेश्वर)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2007

S.O. 973(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 20 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and with the approval of the Central Government, the Highway Administration hereby appoints the Project Directors of the National Highways Authority of India specified in column 2 of the Table below, to exercise the powers and discharge the functions conferred on it under sections 24,25,26,27 and 43 of the said Act, within the limits of jurisdiction specified in the corresponding entry in column 3, in respect of the National Highway as specified in the corresponding entry in column 4, the length of which is specified in the corresponding entry in column 5 of the said Table.

TABLE

Serial number	Project Director	Limits of jurisdiction of the Highway	National Highway number	Length in Km.
1	2	3	4	5
1	Project Director, Project implementation Unit, Berhampur, Orissa.	km 233/0 to km 388/0  (New Chainage - Kolkata - Chennai Section km 311/439 - 470/408 )	5	159

27856/07-2

1	2	3	4	5
2	Project Director, Project Implementation Unit, Bhubaneswar, Orissa.	km 388/ 0 to km 418/0 ( New Chainage – Kolkata – Chennai Section on NH – 5; km 280/253 to km 311/439 )  km 0 to km 199/14 ( New Chainage – Kolkata – Chennai Section km 81/13 to km 280/253)  Km 00 to Km 52.37	5  5  60	31.19  199.12  52.37
3	Project Director, Project Implementation Unit, Paradip, Orissa.	km 0 to km 77	5A	77

[F. No.NH-11014/14/2007-P &amp; M]

P.V.V.S.R. PRASAD, Regional Officer (Bhubaneswar)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 14 जून, 2007

का.आ. 974(अ)— राजमार्ग प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के आदेश से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि की अधिकारिता की सीमा के भीतर, स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लंबाई तक, राजमार्ग अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 43 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग और उन शक्तियों का निर्वहन के लिए नियुक्त करता है :

**सारणी**

क्रम सं.	परियोजना निदेशक	राजमार्ग की अधिकारिता की सीमाएं	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लंबाई कि.मी. में
1	2	3	4	5
1.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, नैल्डोर, आन्ध्र प्रदेश ।	11 कि.मी. से 358 कि.मी. (नया चैनेज - राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर कोलकाता चैन्नी सेक्शन ; 1183.027 कि.मी. से 1548.887 कि.मी.)	5	365
2.	परियोजना निदेशक, कोसेडोर, प्रबंधन इकाई, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश ।	358 - 434.150कि.मी. और 374 कि.मी. से 29.50 कि.मी.  नंदीगामा - विजयगामा सेक्शन (217 कि.मी. से 265 कि.मी.)	5  9	159.2  48

1	2	3	4	5
3.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, राजामुन्दरी, आन्ध्र प्रदेश ।	80.00 कि.मी. से 300 कि.मी. (नया चैनेज राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर कोलकाता चैन्नई सेक्शन ; 799/998 कि.मी. - 1022/ 494 कि.मी)	5	222.50
4.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, विशाखापटनम, आन्ध्र प्रदेश ।	300-397 कि.मी. ; और 0 - 98 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर कोलकाता चैन्नई सेक्शन ; 606/204 - 799/998 कि.मी.	5	193.7
5.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, श्रीकाकुलम, आन्ध्र प्रदेश ।	राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर 98/0- 233/0 कि.मी. (नया चैनेज कोलकाता चैन्नई सेक्शन ; 470/408 - 606/204 कि.मी.	5	135.8
6.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, निर्मल, आन्ध्र प्रदेश ।	राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर नागपुर- हैदराबाद सेक्शन 175.40 कि.मी. से 308 कि.मी.	7	133
7.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।	308-485 कि.मी. (नागपुर- हैदराबाद सेक्शन) और 0-211 (हैदराबाद-बंगलौर सेक्शन)	7	388
8.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, अनंतपुर, आन्ध्र प्रदेश ।	211-463/600 कि.मी. (हैदराबाद - बंगलौर सेक्शन)	7	252

[फा. सं. रा.रा.-11014/5/2007-पी एंड एम]

सी. आर. गंगाधरा, प्रादेशिक अधिकारी (हैदराबाद)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2007

S.O. 974(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 20 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and with the approval of the Central Government, the Highway Administration hereby appoints the Project Directors of the National Highways Authority of India specified in column 2 of the Table below, to exercise the powers and discharge the functions conferred on it under sections 24, 25, 26, 27 and 43 of the said Act, within the limits of jurisdiction specified in the corresponding entry in column 3, in respect of the National Highway as specified in the corresponding entry in column 4, the length of which is specified in the corresponding entry in column 5 of the said Table.

TABLE

Serial number	Project Director	Limits of jurisdiction of the Highway	National Highway number	Length in Km.
1	2	3	4	5
1	Project Director, Project Implementation Unit, Nellore, Andhra Pradesh.	km 11 to km 358 (New Chainage – Kolkata Chennai section on NH – 5; km 1183.027 to km1548.887)	5	365
2	Project Director, Corridor Management Unit, Vijaywada, Andhra Pradesh.	km 358-434/150 and km 3 /4 to km 80 Nandigama-Vijaywada Section (km 217 to km 265)	5 9	159.2 48
3	Project Director, Project Implementation Unit, Rajamundry, Andhra Pradesh.	km 80.00 to km 300 (New Chainage – Kolkata Chennai Section on NH 5 – km 799/998 – 1022/494 )	5	222.50
4	Project Director, Project Implementation Unit, Vishakhapattanam Andhra Pradesh.	km 300-397; and km 0-98 (New Chainage – Kolkata Chennai Section on NH 5 – km 606/204 – 799/998 )	5	193.7
5	Project Director, Project Implementation Unit, Srikakulam, Andhra Pradesh.	km 98/0 – 233/0 on National Highway 5 (New Chainage – Kolkata Chennai Section on NH 5 – km 470/408 - 606/204 )	5	135.8
6	Project Director, Project Implementation Unit, Nirmal, Andhra Pradesh.	Nagpur – Hyderabad Section Km 175.40 km 308 of NH 7	7	133
7	Project Director, Project Implementation Unit, Hyderabad, Andhra Pradesh.	km 308-485 ( Nagpur –Hyderabad Section) and km 0-211( Hyderabad – Bangalore Section )	7	388
8	Project Director, Project Implementation Unit, Ananthpur, Andhra Pradesh.	km 211-463/600 ( Hyderabad – Bangalore Section)	7	252

[F. No. NH-11014/5/2007-P &amp; M]

C. R. GANGADHARA, Regional Officer (Hyderabad)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2007

**का.आ. 975(अ)**—राजमार्ग प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि की अधिकारिता की सीमा के भीतर, स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लंबाई तक, उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 43 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त करता है।

## सारणी

क्रम सं.	परियोजना निदेशक	राजमार्ग की अधिकारिता की सीमाएं	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लंबाई कि.मी. में
1	2	3	4	5
1.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गुजरात ; हिम्मतनगर,	रतनपुर-हिम्मतनगर सेक्शन (388.400 कि.मी.-495 कि.मी.)	8	106.600
2.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, गुजरात ; पालनपुर,	264 से 458/ 50 कि.मी. 138/80 कि.मी. से 281/30 कि.मी. और 308/0 कि.मी. से 254/0 कि.मी. सामाखियाली-गांधीधाम सेक्शन (306कि.मी. से 362.160 कि.मी.)	14 15 8क 8क	118 142 52 90.385 56.150
3.	परियोजना निदेशक परियोजना कार्यान्वयन इकाई, राजकोट, गुजरात ।	(254/00कि.मी.से 182/600कि.मी.) (216कि.मी. से 2/0 कि.मी.)	8क 8ख	71 214
4.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वडोदरा, गुजरात ।	अहमदाबाद-सूरत सेक्शन (108/700कि.मी. से 263.400 कि.मी.)	4	154.70
5.	परियोजना निदेशक, कोरीडोर प्रबंध इकाई, मेनर, गुजरात ।	263.400 कि.मी. से 502 कि.मी.	8	102.30

1	2	3	4	5
6.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यालय इकाई, अहमदाबाद, गुजरात ।	अहमदाबाद-वडोदरा सेक्शन (6/400 कि.मी. से 108/700 कि.मी.)	8	102.30
		अहमदाबाद - वडोदरा एक्सप्रेस मार्ग	राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग सं. 1	93.3

[फा. सं. रा.रा.-11014/9/2007-पी एंड एम]

एस. के. मारवाह, प्रादेशिक अधिकारी (गांधीनगर)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2007

S.O. 975(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 20 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and with the approval of the Central Government, the Highway Administration hereby appoints the Project Directors of the National Highways Authority of India specified in column 2 of the Table below, to exercise the powers and discharge the functions conferred on it under sections 24,25,26,27 and 43 of the said Act, within the limits of jurisdiction specified in the corresponding entry in column 3, in respect of the National Highway as specified in the corresponding entry in column 4, the length of which is specified in the corresponding entry in column 5 of the said Table.

TABLE

Serial number	Project Director	Limits of jurisdiction of the Highway	National Highway number	Length in Km.
1	2	3	4	5
1	Project Director, Project Implementation Unit, Himmatnagar, Gujarat.	Ratanpur-Himmatnagar Section ( Km. 388.400 to km 495)	8	106.600
2	Project Director, Project Implementation Unit, Palanpur, Gujarat.	Km. 264 to km 458/50 Km. 138/80 to km281/30 and Km. 308/0 to km 254/0 Samakhiyali – Gandhidham section (km 306 to km 362.160)	14 15 8A 8A	118 142 52 56.150
3	Project Director, Project Implementation Unit, Rajkot, Gujarat.	Km. 254/00 to km 182/600 Km. 216to km 2/0	8A 8B	71 214
4	Project Director, Project Implementation Unit, Vadodara, Gujarat.	Ahmedabad-Surat Section ( km 108/700 to km 263.400)	8	154.70

1	2	3	4	5
5	Project Director, Corridor Management Unit, Manor, Gujarat.	km 263.400 to km 502 km	8	283.60
6	Project Director, Project Implementation Unit, Ahmedabad, Gujarat.	Ahmedabad –Vadodara Section ( Km. 6/400 to km 108/700 )	8	102.30
		Ahmedabad – Vadodara Expressway	National Expressway No. 1	93.3

[F. No. NH-11014/9/2007-P &amp; M]

S. K. MARWAH, Regional Officer (Gandhinagar)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 14 जून, 2007

**का.आ. 976(अ).**— राजमार्ग प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि की अधिकारिता की सीमा के भीतर, स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लंबाई तक, उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 43 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त करता है।

**सारणी**

क्रम सं.	परियोजना निदेशक	राजमार्ग की अधिकारिता की सीमाएं	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लंबाई कि.मी. में
1	2	3	4	5
1.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कर्नाटक।	592 कि.मी.से 340 कि.मी.	4	252
2.	परियोजना निदेशक, कोरीडोर प्रबंध इकाई, बंगलौर, कर्नाटक।	10 कि.मी.से 29.50 कि.मी.	4	19.50
		बंगलौर-होसूर सेक्शन (8/0कि.मी. से 33/130 कि.मी.)	7	25.13
3.	परियोजना निदेशक प्रोजेक्ट कार्यान्वयन इकाई, चित्रदुर्ग, कर्नाटक।	29.50 कि.मी. से 340.00कि.मी.	4	310.50

1	2	3	4	5
4	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कर्नाटक ।	743.9 कि.मी. से 745 कि.मी. 358 कि.मी. से 375.3 कि.मी. 328 कि.मी. से 345.00 कि.मी.	13 17 48	1 17 17
5.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, पालाकाड़, केरल ।	हैदराबाद-बंगलौर सेक्शन (436/6 से 556 कि.मी.) 182 कि.मी. से 342 कि.मी.	7 47	92.40 160
6.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कोचीन, केरल ।	342 कि.मी. से 358.75 कि.मी.	47	16.75

[फा. सं. रा.रा.-11014/10/2007-पी एंड एम]

आर. के. पांडे, प्रादेशिक अधिकारी (बंगलौर)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2007

S.O. 976(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 20 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and with the approval of the Central Government, the Highway Administration hereby appoints the Project Directors of the National Highways Authority of India specified in column 2 of the Table below, to exercise the powers and discharge the functions conferred on it under sections 24, 25, 26, 27 and 43 of the said Act, within the limits of jurisdiction specified in the corresponding entry in column 3, in respect of the National Highway as specified in the corresponding entry in column 4, the length of which is specified in the corresponding entry in column 5 of the said Table.

TABLE

Serial number	Project Director	Limits of jurisdiction of the Highway	National Highway number	Length in Km.
1	2	3	4	5
1	Project Director, Project Implementation Unit, Dharwad, Karnataka.	Km. 592 to km 340	4	252
2	Project Director, Corridor Management Unit, Bangalore, Karnataka.	km 10 to km 29.50 Bangalore –Hosur Section ( km 8/0 to km 33/130)	4 7	19.50 25.13
3	Project Director, Project Implementation Unit, Chitradurga, Karnataka.	km 29.50 to km 340.00	4	310.50
4	Project Director, Project Implementation Unit, Mangalore, Karnataka.	Km. 743.9 to km 745 Km. 358 to km 375.3 km. 328 to km 345.00	13 17 48	1 17 17

1	2	3	4	5
5	Project Director, Project Implementation Unit, Palakkad, Kerala.	Hyderabad –Bangalore Section (km 463/6 to km 556)  km 182 to km 342	7  47	92.40  160
6	Project Director, Project Implementation Unit, Cochin, Kerala.	km 342 to km 358.75	47	16.75

[F. No. NH-11014/10/2007-P &amp; M]

R. K. PANDEY, Regional Officer (Bangalore)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2007

**का.आ. 977(अ)**—राजमार्ग प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, और केन्द्रीय सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 238(अ) तारीख 23 फरवरी, 2003 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 23 फरवरी, 2003 को प्रकाशित किए गए थे, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि की अधिकारिता की सीमा के भीतर, स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट लंबाई तक, उक्त अधिनियम की धारा 24, धारा 25, धारा 26, धारा 27 और धारा 43 के अधीन दी गई शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त करता है।

## सारणी

क्रम सं.	परियोजना निदेशक	राजमार्ग की अधिकारिता की सीमाएं	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	लंबाई कि.मी. में
1	2	3	4	5
1.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, कृष्णागिरि, तमिलनाडु।	55.112 कि.मी. से 148.201 कि.मी.  तमिलनाडु/पुडुचेरी सीमा तिंडीवानम - थिरुवेनामलाई- कृष्णागिरि (3.520कि.मी. से 214.200कि.मी.)	46  66	93.089  210.68
2.	परियोजना निदेशक, कोरीडोर प्रबंधन इकाई, कृष्णागिरि, तमिलनाडु।	राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर 0/00कि.मी. से 94/00कि.मी.  राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर 0 कि.मी.	7  46	94  55.112

27 85 GE/07-4

1	2	3	4	5
		से 55.112 कि.मी.		
3.	परियोजना निदेशक, कार्योन्मयन इकाई, तमिलनाडु।	निदेशक, कार्योन्मयन इकाई, चैन्नई, तमिलनाडु। 0 से कि.मी. से 107.2 कि.मी. 0 से कि.मी. से 121 कि.मी. 1537.887 से कि.मी. से 1548.887 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग 45.5,205 और 5 (0.000 कि.मी. से 32.221 कि.मी.) तमिलनाडु/ आन्ध्र प्रदेश सीमा-धिरुथानी-चैन्नई (0.000 से कि.मी. से 81.500 कि.मी.)	4 45 5 चैन्नई बाइपास 205	107.2 121 11.00 32.221 81.500
4.	परियोजना निदेशक, कार्योन्मयन इकाई, तमिलनाडु।	निदेशक, कार्योन्मयन इकाई, सलेम, तमिलनाडु। यू.एच.रिरी-नामाक्कल सेक्शन (94 कि.मी. से 248.624 कि.मी.) सलेम-उल्लून्दूरपेट (0.000 कि.मी. से 134.200 कि.मी.)	7 68	154.625 134.2
5.	परियोजना निदेशक, कार्योन्मयन इकाई, तमिलनाडु।	निदेशक, कार्योन्मयन इकाई, कोयंबटूर, तमिलनाडु। 0 कि.मी. से 171/20 कि.मी. कोयंबटूर-मैट्टुपालयम-तमिलनाडु/ कर्नाटक सीमा (332/6 कि.मी. से 504.4 कि.मी.)	47 67	171.20 171.800
6.	परियोजना निदेशक, कार्योन्मयन इकाई, तमिलनाडु।	निदेशक, कार्योन्मयन इकाई, तिरुची, तमिलनाडु। तिरुडीवानम तिरुची सेक्शन (121.000 कि.मी. से 325.000 कि.मी.) तिरुची-मदुरै सेक्शन (0.000 कि.मी. से 125.00 कि.मी.) थान्जादूर-त्रिची (80.000 कि.मी. से 136.490 कि.मी.) करूर-कोयंबटूर 218.200 कि.मी. से 332.600 कि.मी.)	45 45ख 67 67	204.000 125.00 56.490 114.400
7.	परियोजना निदेशक, कार्योन्मयन इकाई, तमिलनाडु।	निदेशक, कार्योन्मयन इकाई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु। तिरुनेलवेली से कन्याकुमारी (120/00 कि.मी. से 236/00 कि.मी.) केरल/ तमिलनाडु सीमा-कन्याकुमारी सेक्शन (599 कि.मी. से 655.00 कि.मी.)	7 47	116 56
8.	परियोजना निदेशक, कार्योन्मयन इकाई, तमिलनाडु।	निदेशक, कार्योन्मयन इकाई, तूतीकोरिन, तमिलनाडु। तूतीकोरिन-तिरुनेलवेली सेक्शन (4 कि.मी. से 51.200 कि.मी.) त्रिची से करूर (135/6 कि.मी. से 218 कि.मी.)	7क 67	47.2 82.40

1	2	3	4	5
9.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, तमिलनाडु। टोटीकोरिन,	नमक्काल-समयनलूर सेक्शन (248.625 कि.मी. से 426/600 कि.मी.)	7	191.375
10.	परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, मदुरै, तमिलनाडु।	समयनलूर-तिरुनवेली सेक्शन - II (426/600कि.मी. बंगलौर-मदुरै सेक्शन) मदुरै-कन्याकुमारी 120/000	7	120

[फा. सं. रा.रा.-11014/16/2007-पी एंड एम]

एम. जी. जयाचंद्रन, प्रादेशिक अधिकारी (चैन्नई)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th June, 2007

S.O. 977(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section 20 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and with the approval of the Central Government and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways number S.O. 238(E), dated the 23<sup>rd</sup> February, 2006 published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 23<sup>rd</sup> February, 2006, the Highway Administration hereby appoints the Project Directors of the National Highways Authority of India specified in column 2 of the Table below, to exercise the powers and discharge the functions conferred on it under sections 24,25,26,27 and 43 of the said Act, within the limits of jurisdiction specified in the corresponding entry in column 3, in respect of the National Highway as specified in the corresponding entry in column 4, the length of which is specified in the corresponding entry in column 5 of the said Table.

**TABLE**

Serial number	Project Director	Limits of jurisdiction of the Highway	National Highway number	Length in Km.
1	2	3	4	5
1	Project Director, Project Implementation Unit, Krishnagiri, Tamil Nadu.	Km 55.112 to km 148.201	46	93.089
		Tamil Nadu/Pondicherry Border Tindivanam-Thiruvannamalai- Krishnagiri ( km 3.520 to km 214.200 )	66	210.68
2	Project Director, Corridor Management Unit, Krishnagiri, Tamil Nadu.	Km 0/00 to km 94/00 on National Highway 7	7	94
		Km 0 to km 55.112 on National Highway 46	46	55.112
3	Project Director, Project Implementation Unit, Chennai, Tamil Nadu.	km 0 to km 107.2	4	107.2
		km 0 to km 121	45	121
		Km 1537.887 to km 1548.887	5	11.00
		Chennai bypass connecting NHs 45, 5, 205 & 5 ( km 0.00 to km 32.221)	Chennai bypass	32.221
		Tamil Nadu /Andhra Pradesh Border – Thiruthani-Chennai (km 0.000 to km 81.500)	205	81.500

1.	2.	3.	4.	5.
4	Project Director, Project Implementation Unit, Salem, Tamil Nadu.	Krishnagiri-Namakkal Section ( km 94 to km 248.625)	7	154.625
		Salem-Ulundurpet (km 0.000 to km 134.200)	68	134.2
5	Project Director, Project Implementation Unit, Coimbatore, Tamil Nadu.	km 0 to km 171/20	47	171.20
		Coimbatore –Mettupalayam- Tamil nadu/Karnataka Border ( km 332/6 to km 504.4)	67	171.800
6	Project Director, Project Implementation Unit, Tiruchy, Tamil Nadu.	Tindivanam Tiruchy Section (Km 121.000 to 325.000	45	204.000
		Trichy-Madurai Section ( km 0.000 to 125.00 )	45B	125.00
		Thanjavur –Trichy ( km 80.000 to 136.490 )	67	56.490
		Karur –Coimbatore ( km 218.200 to 332.600 )	67	114.400
7	Project Director, Project Implementation Unit, Tirunelveli, Tamil Nadu.	Tirunaveli to Kanyakumari (km 120/00- km 236/00)	7	116
		Kerala /Tamil Nadu Border – Kanniakumari Section ( Km 599 to km 655.00)	47	56
8	Project Director, Project Implementation Unit, Tuticorin, Tamil Nadu.	Totcorin-Tirnaveli Section ( km 4 to km 51/200)	7A	47.2
		Trichy to Karur ( km 135/6 to km 218	67	82.40
9	Project Director, Project Implementation Unit, Karur, Tamil Nadu.	Namakkal-Samyallur Section (km 248.625 to km 426/600 )	7	191.375
10	Project Director, Project Implementation Unit, Madurai, Tamil Nadu.	Samyallur - Tirunelveli Section-II (km 426/600 of Bangalore –Madurai section) to km 120/00 of Madurai – Kanniakumari section)	7	120

[F. No. NH-11014/16/2007-P &amp; M]

M. G. JAYACHANDRAN, Regional Officer (Chennai)